रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2008/आश्विन 21, 1930

No. 1434] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2008/ASVINA 21, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2008

सं. 48 (आर ई-2008)/2004—2009

का.आ. 2443(अ).—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22) की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 5 और विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 1.3 और 2.1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या 37 (आर ई-2008)/2004—2009 दिनांक 3-9-2008, अधिसूचना संख्या 38 (आर ई-2008)/2004—2009 दिनांक 5-9-2008 और अधिसूचना संख्या 39 (आर ई-2008)/2004—2009 दिनांक 16-9-2008, के साथ पठित अधिसूचना संख्या 93 (आर ई-2007)/2004—2009 दिनांक 1-4-2008, में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. निम्नलिखित को अधिसूचना संख्या 93 (आर ई-2007)/2004—2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पैराग्राफ 2.1 के अंत में जोड़ा जाएगा :—

"2.1.7 निम्नलिखित देशों को चावल के निर्यात पर गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा :—

देश का नाम	मात्रा
(i) नाईजीरिया	15,000 मीट्रिक टन
(ii) सेनेगल	15,000 मीट्रिक टन
(iii) घाना	15,000 मीट्रिक टन
(iv) कैमरुन	10,000 मीट्रिक टन

उपरोक्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(i) उपरोक्त मात्रा सितम्बर/अक्तूबर, 2008 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) के माध्यम से निर्यात की जाएगी ;

(ii) एस टी सी ऐसी चावल मिलों से चावल प्राप्त करेगी जिनके स्टाफ में अतिरिक्त चावल/धान हैं;

(iii) निर्यात किया जाने वाला चावल कम से कम 25% टूट्य चावल होगा ;

(iv) एस टी सी यह सुनिश्चित करेगी कि इस निर्यात के लिए उनकी बाजार में प्रविष्टि, चावल की सम्पूर्ण मूल्य स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी; और

(v) एस टी सी निर्यात किए जाने वाले चावल को एक से अधिक राज्य से और चार अलग-अलग ट्रांचिज में प्राप्त करेगी ।"

3. अधिसूचना संख्या 93 (आर ई-2007)/2004—2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और लागू रहेंगे ।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/846/एएम 08/निर्यात सैल]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2008

No. 48(RE-2008)/2004—2009

S.O. 2443(E).- In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) and also read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes following amendments to Notification No. 93 (RE-2007)/2004—2009 dated 1st April, 2008 read with Notification No. 37 (RE-2008)/2004—2009 dated 3rd September, 2008, Notification No. 38 (RE-2008)/2004—2009 dated 5th September, 2008 and Notification No. 39 (RE-2008)/2004—2009 dated 16th September, 2008.

2. Following shall be added at the end of Para 2.1 of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004—2009 dated 1st April, 2008 :—

"2.1.7 Ban on export of non-basmati rice shall not be applicable to export of rice to the following countries:-

Name of the country		Quantity
(i)	Nigeria	15,000 MT
(ii)	Senegal	15,000 MT
(iii)	Ghana	15,000 MT
(iv)	Cameron	10,000 MT

The above export shall be subject to the following conditions:—

(i) The above quantity shall be exported through State Trading Corporation (STC) of India during September/October, 2008;

(ii) STC shall procure rice from such rice mills who have surplus rice/paddy in their stock;

(iii) The rice to be exported shall be with a minimum of 25% of brokens;

(iv) STC shall ensure that their entry into market for this export does not affect the overall price situation of rice; and

(v) STC shall source the rice to be exported from more than one State and in four different tranches."

3. All other provisions of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004—2009 dated 1st April, 2008 shall remain unchanged and shall continue to apply.

4. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/180/846/AM 08/Export Cell]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.